झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय :– झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को जनवरी, 2023 के प्रभाव से एक वर्ष यथा–दिसम्बर, 2023 तक मुफ्त में खाद्यान्न वितरण की स्वीकृति के संबंध में।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा लाभुकों की संख्या का निर्धारित लक्ष्य यथा–2,64,25,385 के पूर्ण हो जाने की स्थिति के कारण अधिनियम के तहत रिक्तियाँ नहीं होने के फलस्वरूप बहुत सारे पात्र लाभुक जिन्हें अधिनियम का लाभ नहीं मिल पाता था, उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे पात्र लाभुकों को खाद्यान्न का लाभ पहुँचाने हेतु राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या–2413, दिनांक 15.09.2020 द्वारा प्रदान की गई है। इस योजनान्तर्गत आच्छादित लाभुकों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह एक रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है। योजना अंतर्गत वर्तमान में आच्छादित होने वाले लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 20 लाख निर्धारित है।

2. भारत सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से एक वर्ष तक अर्थात–दिसम्बर, 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न 3 रूपये प्रति किलोग्राम चावल तथा 2 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूँ की दर से उपलब्ध कराया जाता था जिस पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी देने के उपरांत लाभुकों को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अधिनियम के तहत जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की अवधि के लिए चावल एवं गेहूँ मुफ्त में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों के लिए मापदण्ड का निर्धारण उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार का मापदण्ड का निर्धारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों के लिए किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के तहत कोई भी लाभुक पात्रता होने की स्थिति में सर्वप्रथम झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत आच्छादित होता है। तत्पश्चात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रिक्तियाँ उपलब्ध होने की स्थिति में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से आच्छादित लाभुकों की Automatic Shifiting राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से आच्छादित लाभुक के पात्रता के मापदण्ड एक जैसे हैं तथा खाद्यान्न का Entitlement भी एक जैसा है।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की अवधि के लिए झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत आच्छादित लाभुकों को खाद्यान्न (चावल) मुफ्त में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. वर्तमान व्यवस्था के तहत योजना अन्तर्गत लाभुकों से प्राप्त होने वाले एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ता मूल्य को संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार के लिए डीलर कमीशन के रूप में प्रावधानित है। जनवरी, 2023 से लाभुकों को संबंधित योजनान्तर्गत मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप जन वितरण प्रणाली दुकानदार को देय डीलर कमीशन (100.00 रूपये प्रति क्विंटल) की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि से किया जायेगा।

6. झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 20 लाख निर्धारित है जिसके लिए 5 किलोग्राम प्रति लाभुक की दर से खाद्यान्न के अधिकतम मासिक आवश्यकता 1,00,000 क्विंटल है। उक्त अधिकतम मासिक खाद्यान्न की आवश्यकता के विरूद्ध प्रति किलोग्राम एक रूपये की दर से डीलर कमीशन के भुगतान हेतु 1,00,000 x 100 = 1,00,00,000.00 (रूपये एक करोड़) मासिक एवं 12,00,00,000.00 (रूपये बारह करोड़) वार्षिक व्यय भार संभावित है।

7. संबंधित योजनान्तर्गत डीलर कमीशन के भुगतान हेतु राज्य सरकार पर संभावित राशि का व्यय *बजट शीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–उपशीर्ष–66–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित गरीब लाभुकों को खाद्यान्न वितरण योजना* के तहत उपबंधित राशि अथवा अनुपूरक आगणन या झारखण्ड आकस्मिकता निधि से उपबंध कराये जाने वाले राशि से किया जायेगा।

8. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक–484, दिनांक 09.02.2023 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 09.02.2023 की बैठक के मद संख्या–26 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(हिमानी पाण्डे),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 01/झा०रा०खा०सु०यो०/06–7/2020–..... /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– खा०प्र० 01/झा०रा०खा०सु०यो०/06–7/2020 802 /राँची, दिनांक 06/03/23

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय/ वरीय तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, राँची/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/अवर सचिव–बजट प्रशाखा/विभागीय कम्प्यूटर ऑपरेटर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/23
सरकार के प्रधान सचिव।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित रह जाने वाले गरीब तबके को झारखण्ड खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके तहत 4 लाख से अधिक परिवारों के लगभग 20 लाख लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सदृश खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।